ग्रामीण विकास विभाग तथा पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार सरकार

महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत "वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान"
01 से 10 अगस्त 2018 – 50 लाख पौधे रोपने का कार्यक्रम

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

वृक्ष से जल और जल से जीवन
आओ सभी मिलकर वृक्ष लगायें

मुख्य समारोह
जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तर पर
(प्रखंड मुख्यालय या किसी एक ग्राम पंचायत के किसी एक स्थान पर)

सभी ग्राम पंचायत में सघन वृक्षारोपण अभियान

सरकारी भूमि पर सामाजिक वानिकी

- 200 पौधों की एक इकाई
- वन विभाग की नर्सरी से निर्धारित दर पर पौधे प्राप्त किये जा सकते है
- प्रत्येक इकाई पर दो वन पोषक
- प्रत्येक वनपोषक को 7 रूपये प्रति जीवित पौधों की दर से 1400 रुपये प्रति माह – पांच वर्षों के लिए।

वनपोषकों के लिए शर्त

- ✓ वन पोषक हेतु आवेदन अपने निवास के ग्राम के राजस्व सीमा के अंतर्गत ही किया जा सकता है
- ✓ वृक्षारोपण स्थल से दूरी के आधार पर आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी
- ✓ दिव्यांगों, एकल महिला परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों एवं जीविका की महिला सदस्यों को योजना में शामिल होने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी

वन पोषक के अधिकार

पांच वर्ष के बाद प्रत्येक वन पोषक परिवार को 50–50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत वृक्ष पट्टा के रूप में दिया जायेगा जिससे वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल, फूल, आदि का लाभ मिलेगा

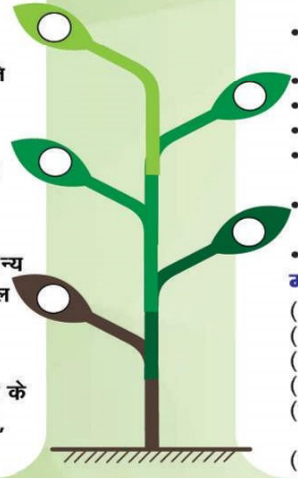

निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी

- लाभुकों की स्वयं की भूमि पर 200 पौधों की एक इकाई का वृक्षारोपण
- लाभुक के पास पर्याप्त भूमि नहीं होने पर 2 या 3 किसानों की भूमि मिलाकर भी 200 पौधे लगाए जा सकते हैं
- लाभुक के पसंद के काष्ठ / फलदार पौधे लगाये जायंगे
- पौधों की सुरक्षा के लिए बांस गैबियन का प्रावधान
- पौधों के पटवन हेतु चापाकल अथवा पानी टंकी–सह– ट्राली का प्रावधान
- 200 पौधों की प्रत्येक इकाई पर लाभुक परिवार के एक सदस्य को वन पोषक बनाया जायेगा – पांच वर्षों के लिए
- वन पोषक को 7 रुपये प्रति जीवित पौधों की दर से 1400 रुपये प्रति माह – पांच वर्षों के लिए
- वृक्षों के उपर लाभुक का पूर्ण अधिकार

मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि पर वृक्षारोपण की अनुमान्यता

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(ii) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
(iii) भूमि सुधार के लाभार्थी (पर्चाधारी)
(iv) इंदिरा /प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी
(v) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के अधीन लाभार्थी
(vi) लघु या सीमांत कृषक

सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से अनुरोध है कि मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी हेतु वन महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान में भाग ले कर इसे सफल बनायें।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।

PR No- 6695 (RDD) D. 2018-19